न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

प्रार्थीगण	ब	अप्रार्थीगण
धनराज पुत्र सुण्डाराम कुमावत जरिये संरक्षक माता चम्पादेवी पत्नि [redacted]. सुण्डाराम कुमावत श्रवणपुरा कुचामनसिटी	नाम	तिलोकाराम पुत्र गंगाराम कुमावत वगैरह श्रवणपुरा वगैरह तहसील कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र = प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर = 205/2023 **GCMS No.2023/ 528**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/11/2023	प्रार्थी वकील द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक–पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 22.12.2023 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 278 में अप्रार्थी सं. 1 बेचान, हस्तानान्तरण, रहन, बख्शीश इत्यादि नही करे। अप्रार्थी सं. 7 (अप्रार्थी 1) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी सं. 8 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 22.12.2023 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	
22.12.23	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 15/03/24 को पेश हो।	
15/03/24	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 29/04/24 को पेश हो।	
29/04/2024	वकील प्रार्थी के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 16:30:40 IST
Reason: SelfAttested